



UPMB010025222023

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोबा।

सिविल अपील संख्या-81/2023

बिहारीलाल बनाम दिनेशचन्द्र आदि।

दिनांक 08.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 19ग पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 19ग अपीलार्थी बिहारीलाल की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील के अतिरिक्त न्यायालय में अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि, सिविल अपील संख्या-80/2023 श्रीमती अनीता आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि, सिविल अपील संख्या-84/2023 महेन्द्र कुमार आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि एवं सिविल अपील संख्या-85/2023 राजेन्द्र कुमार दुबे आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि विचाराधीन है, जो वादीगण द्वारा कथित गाटा संख्या-1869/4 को वाद भूमि दर्शित की गयी है के संबंध में है और उपरोक्त सभी अपीलों में पक्षकार एक समान है। इसलिए उपरोक्त अपीलों को समेकित किया जाना और सिविल अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि को मुख्य अपील स्वीकार किया जाना उपरोक्त सभी अपीलों की सुविधा हेतु एवं प्रस्तुत अपीलों की प्रकृति के अनुरूप न्याय निर्णयन हेतु अति आवश्यक है। अतः याचना की गयी है कि उक्त समस्त अपीलों को समेकित करते हुए सिविल अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि को मुख्य अपील निर्मित किये जाने की कृपा की जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में उत्तरदातागण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में न्यायालय सिविल जज सी0डी0 महोबा द्वारा मूलवाद संख्या-14/2019 दिनेशचन्द्र आदि बनाम अरिमर्दन सिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2023 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपीलों प्रस्तुत की गयी है जो निम्नवत है-

1. सिविल अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।
2. सिविल अपील संख्या-80/2023 श्रीमती अनीता आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।
3. सिविल अपील संख्या-81/2023 बिहारीलाल बनाम दिनेशचन्द्र आदि।
4. सिविल अपील संख्या-84/2023 महेन्द्र कुमार आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।
5. सिविल अपील संख्या-85/2023 राजेन्द्र कुमार दुबे आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि।

उपरोक्त समस्त अपीलें एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध संस्थित की गयी हैं। अतः उपरोक्त सभी अपीलों में परस्पर विरोधी निर्णय के बचाव हेतु तथा पृथक-पृथक साक्ष्य संकलित करने के समय साक्ष्य में आये कतिपय विरोधाभासों से बचाव तथा न्यायालय एवं साक्षीगण के बहुमूल्य समय के बचाव हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिविल अपीलों का एक साथ संयुक्त विचारण किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सिविल अपीलों का संयुक्त विचारण किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19ग2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी बहारीलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19ग स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त उल्लिखित सिविल अपीलों का संयुक्त विचारण किया जायेगा। सिविल अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनायी जाती है। सम्पूर्ण साक्ष्य सिविल अपील संख्या-79/2023 अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि में संकलित किया जायेगा, जो अन्य समस्त सिविल अपीलों में भी पढ़ा जायेगा। उक्त आदेश की एक प्रति उपरोक्त समस्त संबंधित अपीलीय वाद में रखी जाये।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 30ग2 व 36ग2 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से इस याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील में पारित स्थगन आदेश खिलाफ उत्तरवादीगण अग्रिम तिथि तक प्रभावी रखा जावे।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए उत्तरदातागण की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को (दिनांक 23.12.2023 से 31.12.2023) तक के लिए विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया था। ऐसे ही प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण की ओर से अन्य संबंधित अपीलीय वाद में भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30ग2 दिनांकित 02.01.2024 व प्रार्थना पत्र 36ग2 दिनांकित 06.02.2024 के प्रकाश में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए पक्षगण को अग्रिम नियत तिथि तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे हेतु आदेशित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 13.02.2024 को पेश हो।

दिनांक 08.02.2024

(सुनील कुमार तृतीय)
अपर जिला न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
महोबा। यू0पी0-01826

